रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22112021-231284
CG-DL-E-22112021-231284

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4427] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 22, 2021/अग्रहायण 1, 1943
No. 4427] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 22, 2021/AGRAHAYANA 1, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2021

सं. 43 /2015–2020

विषयः– आईटीसी (एचएस) 2017 की अनुसूची (I) और आईटीसी (एचएस) 2018 की अनुसूची (II) के अध्याय–71 के तहत आने वाले अपरिष्कृत हीरों के आयात और निर्यात को अभिशासित करने वाली नीतिगत शर्तों में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 4794(अ).—विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2017 की अनुसूची (I) और आईटीसी (एचएस) 2018 की अनुसूची (II) के अध्याय–71 के तहत आने वाले अपरिष्कृत हीरों के आयात और निर्यात को अभिशासित करने वाली नीतिगत शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करती हैः

2. नीतिगत शर्त संख्या 05 को आईटीसी (एचएस) 2017 की अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय–71 के तहत निम्नानुसार शामिल किया जाता हैः

टपरिष्कृत हीरों का आयात अनुमत नहीं होगा जब तक कि संबंधित आयातक रत्न और आभूषण ईपीसी जा किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन स्कीम (केपीसीएस) हेतु नामित भारत का आयातक और निर्यातक प्राधिकारो है, के साथ पंजीकृत न हो।

3. इसके अतिरिक्त, नीतिगत शर्त संख्या 01 को आईटीसी (एचएस) 2018 की अनुसूची–II (निर्यात नीति) के अध्याय–71 के तहत निम्नानुसार शामिल किया जाता है:

टपरिष्कृत हीरों का निर्यात अनुमत नहीं होगा जब तक कि संबंधित निर्यातक रत्न और आभूषण ईपीसी जा किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन स्कीम (केपीसीएस) हेतु नामित भारत का आयातक और निर्यातक प्राधिकारी है, के साथ पंजीकृत न हो।

इस अधिसूचना का प्रभाव: अपरिष्कृत हीरों का आयात या निर्यात अनुमत नहीं होगा जब तक कि संबंधित आयातक और निर्यातक रत्न और आभूषण ईपीसी के साथ पंजीकृत न हो।

[फा.सं. 01/89/180/36/एएम–11/पीसी–2(क)/पार्ट–II/ई–1717]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं

पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2021

No. 43/2015-2020

Subject: Amendment in policy conditions governing import and export in rough diamonds falling under Chapter-71 of Schedule (I) of ITC(HS) 2017 and Schedule(II) of ITC(HS) 2018– reg.

S.O. 4794(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the FT(D&R) Act, 1992 and paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended from time to time, the Central Government hereby revises the policy conditions governing import and export of rough diamonds falling under Chapter-71 of Schedule (I) of ITC(HS) 2017 and Schedule(II) of ITC(HS) 2018 as under -

2. Policy condition No.05 is inserted under chapter-71 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS) 2017, as under:

Import of rough diamonds shall not be permitted unless the concerned importer is registered with Gems & Jewellery EPC, which is the designated importing and exporting authority of India for Kimberley Process Certification Scheme (KPCS).

3. Further, a Policy Condition No.01 is inserted in the Chapter-71 of Schedule-II (Export Policy) of ITC(HS) 2018, as under:

Export of rough diamonds shall not be permitted unless the concerned exporter is registered with Gems & Jewellery EPC, which is the designated importing and exporting authority of India for Kimberley Process Certification Scheme (KPCS).

Effect of this Notification: Import or export of rough diamonds shall not be permitted unless the concerned importer and exporter is registered with G&JEPC.

[F. No. 01/89/180/36/AM-11/PC-2(A)/Part-II/E-1717]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade &

Ex-officio Additional Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.11.22 19:58:56 +05'30'